RCPLWEA Cell

केन्द्रीय यांत्रिक कर्मशाला परिसर, शेखपुरा, पटना।

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या 02 वर्ष 2020–21

RCPLWEA SRRDA के पदाधिकारियों के प्रयोजनार्थ सरकारी कार्य हेतु वाहन आपूर्तिकर्ताओं / वाहन मालिकों / रजिस्टर्ड फर्म से किराये पर वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वातानुकूलित वाहन (न्युन्तम 2500 कि0मी0 हेतु) ईंधन एवं चालक सहित उपलब्ध कराने हेतु मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किया जाता हैं।

(1)	कोटेशन आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का पदनाम –	कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक), RCPLWEA Cell, BSRDCL, Patna
(2)	कोटेशन प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय –	दिनांक–01.06.2020 को 3.00 बजे अपराह्न तक
(3)	कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय –	दिनांक–01.06.2020 को 3.30 बजे अपराह्न ।
(4)	कोटेशन प्राप्त करने एवं खोलने का स्थान –	कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक), RCPLWEA Cell, BSRDCL, Patna

कार्य की विवरणी

क्रम संख्या	कार्य का नाम	वाहन का प्रकार	मात्रा
1.	RCPLWEA SRRDA के पदाधिकारियों द्वारा उपयोग में लाये जाने हेतु वातानुकुलित वाहन (जिनका निबंधन वाणिज्यिक वाहन के रूप में हो) की आपूर्ति का कार्य वर्ष 2020–21	ERTIGA/SCORPIO	1 अदद
		DEZIRE/INDIGO/ AMAZE/VERITO/LOGAN	1 अदद

नियम एवं शर्त्ते

1. वाहन चालक एवं ईंधन सहित होगा एवं चालक का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जाएगा।
2. वाहन दो वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए तथा अच्छी हालत में होनी चाहिए।
3. कोटेशन के साथ वाहन मालिक / कोटेशनदाता को अपना पहचान पत्र, पैन कार्ड एवं वाहन से संबंधित (यथा बिमा, निबंधन, प्रदुषण आदि) सभी कागजातों की अभिप्रमाणित छाया–प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. वाहन का रख–रखाव वाहन मालिक / कोटेशनदाता को ही करना होगा।
5. वाहन का भाड़ा प्रतिमाह (ईंधन सहित) सभी कर सहित अंकित करना होगा।
6. वाहन खराब होने की स्थिति में वाहन मालिक / कोटेशनदाता का दायित्व होगा कि दूसरा वाहन उपलब्ध कराए अन्यथा निर्धारित भाड़ें की राशि में से कटौती कर ली जाएगी।
7. वाहन का उपयोग पूर्व में किसी भी अवैध कार्य में नहीं किया गया है, से संबंधित प्रमाण–पत्र कोटेशन में वाहन मालिक / कोटेशनदाता द्वारा संलग्न करना होगा।
8. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेंस का होना अनिवार्य होगा तथा वाहन चालक के संबंध में चरित्र प्रमाण–पत्र वाहन मालिक / कोटेशनदाता को देना होगा।
9. वाहन की सुरक्षा वाहन चालक / वाहन मालिक / कोटेशनदाता की होगी।
10. गाड़ी की उपयोग संबंधी कर्म–पुस्तिका का विधिवत संधारण करना, वाहन चालक / वाहन मालिक / कोटेशनदाता की होगी।
11. वाहन की प्रतिदिन की गणना शून्य काल से रात्रि का मध्य काल तक एक दिन मान्य होगा।
12. कोटेशन आमंत्रण में भाग लेने हेतु रू० 10,000.00 (दस हजार) मात्र का DD/राष्ट्रीय बचत पत्र/FD (अग्रधन की राशि), जो कार्यपालक अभियंता (यॉंत्रिक), RCPLWEA,

Scanned with CamScanner

BSRDCL, Patna, पटना के पदनाम के प्रतिज्ञित हो कोटेशन के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा कोटेशन को अमान्य कर दिया जायेगा।

13. वाहन के भाड़ा का भुगतान इस कार्य हेतु प्राप्त आवंटन से किया जाएगा एवं इस संबंध में कोई अन्य दावा मान्य नहीं होगा।
14. वाहन उपलब्ध कराने के बाद वाहन का रख–रखाव ससमय नहीं करने अथवा वाहन चालक का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना कारण बताये वाहन हटा दिया जायेगा एवं इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
15. सशर्त कोटेशन मान्य नहीं होगा।
16. संतोषजनक कार्य रहने पर अवधि विस्तार भी दिया जा सकता है।
17. किसी भी समय बिना कारण बताये कोटेशन आमंत्रण रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
18. विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य दिवस में सम्पर्क करें।
19. इसे **website : www.bsrdcl.bih.nic.in** पर भी देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक)
RCPLWEA Cell, BSRDCL, Patna

Scanned with CamScanner